न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 145/2021–22

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/9/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी सं0 07/2022 दिनांक 22/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) सुदामा सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 धनी सिंह ग्राम बोंगालोया थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) झालो देवी उम्र 48 वर्ष पति महली गोप (2) महली गोप उम्र 52 वर्ष (3) मुनी कुमारी उम्र 22 वर्ष पिता महली गोप (4) प्रदुमन प्रधान उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 गंदुरा राम सभी ग्राम बोंगालेंया थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा बोंगालोया के खाता सं0 27 प्लॉट सं0 335, रकबा 0.89 एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावाना को लेकर किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये है। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच शांति भंग नहीं होने की सूचना एवं वाद की समय अवधिक समाप्त होने कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2022.09.28 14:05:44 +05:30 Location: 192.168.81.239 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	